

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

एकल/द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार योजना

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 में राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक या अधिक अंक प्राप्त करने वाली केवल एकल /द्विपुत्री परिवार की छात्राओं के लिये योग्यता पुरस्कार योजना

-:: आवेदन पत्र ::-

छात्रा का नाम:-

पिता का नाम:-

माता का नाम:-

जन्म तिथि:-

कक्षा:- रोल नं0 संकाय (उ.मा के लिए)

राज्य स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अथवा अधिक अंक

जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अथवा अधिक अंक

विद्यालय का UDISE कोड एवं नाम

छात्रा का बैंक खाता संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IFSC कोड

बैंक का नाम शाखा का नाम

छात्रा का पास पोर्ट
साईज का फोटो
शाला प्रधान द्वारा
सत्यापित।

घोषणा (जो लागू हो उस पर ✓ चिह्नित/पूर्ति करें)

1. मैं अपने माता-पिता की एकमात्र संतान हूँ। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ()
अथवा
2. मेरे परिवार में मेरे सिवाय केवल एक बहन है (अर्थात केवल दो संतानें जो पुत्रियां हैं।) ()
जिसका, नाम आयुवर्ष है।
अथवा
3. मेरे परिवार में एक बालिका और उससे छोटी दो जुड़वां बहनें हैं अर्थात केवल तीन बालिका संतान हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ()

प्रमाणित

हस्ताक्षर छात्रा के पिता/माता

पूरा नाम

फोन नं0 S.T.D. Code सहित.....

मोबाईल नम्बर

ई-मेल

हस्ताक्षर छात्रा.....

पूरा नाम

पता:-.....

.....

फोन नं0.....

मोबाईल नम्बर

ई-मेल

नोट :- परिवार में एक पुत्री के बाद दो जुड़वाँ पुत्रियों की स्थिति में तीन पुत्रियों के इस परिवार की छात्रा को भी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

संलग्न दस्तावेज :-

1. आवेदन पत्र मूल (परिशिष्ट-1)
2. 50/- रुपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित माता-पिता का सन्तान सम्बन्धी शपथ-पत्र (परिशिष्ट -2) शपथ पत्र का प्रारूप
3. संस्था प्रधान का अनुशंषा पत्र/स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु जनप्रतिनिधि का अनुशंषा पत्र (परिशिष्ट -3)
4. परिवार राशन कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम हो की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति
5. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापित अथवा खाते के चैक जिसमें नाम भी मुद्रित हो की प्रमाणित फोटोप्रति।
6. पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड की सत्यापित फोटो प्रति)
7. आवेदन पत्र के साथ बोर्ड परीक्षा की अंकतालिका जिसके आधार पर आवेदन है की सत्यापित फोटो प्रति।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य की अनुशंषा (परिशिष्ट -3)
(केवल एक या दो बालिका परिवार हेतु नियमित विद्यार्थी के लिए)

क्रमांक:

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री पुत्री श्री
इस विद्यालय की कक्षाकी नियमित छात्रा रही हैं। इसने
बोर्ड परीक्षा(वर्ष) में राज्य स्तर/जिला स्तर पर योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित
Cut off अंक या अधिक अंक प्राप्त किये हैं।

मेरे द्वारा की गई जाँच के आधार पर मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि सुश्री
पुत्री श्री के परिवार में केवल निम्नांकित सदस्य है:-

- I. (पिता का नाम)
- II. (माता का नाम)
- III. (छात्रा का नाम जो पुरस्कार हेतु विचाराधीन है)
- IV.
- V.

उक्त के अलावा इस परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। अतः सुश्री
बोर्ड की एकल/द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार योजनान्तर्गत परिवार में केवल एक या दो कन्या संतान या एक के बाद
दो जुड़वा कन्या संतान होने तथा राज्य स्तर/जिला स्तर योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off
अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पुरस्कार पाने की अधिकारी है। मैं यह पुरस्कार देने की अनुशंषा
करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
पूरा नाम
पदनाम.....
(कार्यालय सील सहित)
फोन नं0 (कोड नं0).....
मोबाईल नम्बर.....
ई-मेल

अथवा

जनप्रतिनिधि की अनुशंषा
(केवल स्वयंपाठी विद्यार्थी के लिए)

मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि सुश्रीपुत्री श्री
जिसने कक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की परीक्षा वर्ष में राज्य स्तरीय/ जिला
स्तरीय निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक अथवा इससे अधिक अंकप्राप्त किये है, के परिवार में
केवल निम्नांकित सदस्य है:-

- I. (पिता का नाम)
- II. (माता का नाम)
- III. (छात्रा का नाम जो पुरस्कार हेतु विचाराधीन है।)
- IV.
- V.

उक्त के अलावा इस परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। अतः सुश्री
बोर्ड की एकल/द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार योजनान्तर्गत परिवार में केवल एक या दो कन्या संतान या एक के बाद
दो जुड़वा कन्या संतान होने तथा राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut
off अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पुरस्कार पाने की अधिकारी है। मैं यह पुरस्कार देने की अनुशंषा
करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं पद
सील
मो. नं.

बोर्ड कार्यालय की कार्यवाही

1. प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री कक्षा रोल नं. ने बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा की राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं। शाला प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य की रिपोर्ट तथा प्राप्त संलग्न दस्तावेजों के अनुसार यह छात्रा एकल/द्वि पुत्री (SINGAL/TWO FEMALE CHILD) परिवार की है अतः बोर्ड द्वारा घोषित योग्यता पुरस्कार योजना में स का पुरस्कार देने के लिए समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सहायक निदेशक (शैक्षिक)

2. समिति सहायक निदेशक (शैक्षिक) द्वारा प्रस्तुत एकल एवं द्विपुत्री के आवेदन पत्रों की गहनतापूर्वक जांच कर अनुशंसा करती है कि छात्रा को राज्य स्तर/जिला स्तर पुरस्कार रु..... का पुरस्कार स्वीकृत किया जाये।

विशेषाधिकारी (परीक्षा)

वित्तीय सलाहकार

निदेशक (शैक्षिक)

3. अनुच्छेद -2 की अनुशंसा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निदेशक (शैक्षिक)

4. सचिव

सन्तान सम्बन्धी शपथ-पत्र का प्रारूप

मैं (पिता) पुत्र श्री एवं
 मैं (माता) पुत्री/पत्नी श्री
 निवासी

शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि :-

1. हमारे केवल एक सन्तान है जो पुत्री है। ()
 अथवा
 हमारे केवल दो सन्तान हैं और दोनों पुत्रियाँ हैं। () जो लागू हो उस पर ✓ चिह्नित करे
 अथवा
 हमारे केवल तीन सन्तान हैं और तीनों पुत्रियाँ हैं ()
 जिनमें एक पुत्री के बाद दो पुत्रियाँ जुड़वा सन्तान हैं।
2. मेरी/हमारी पुत्री कुमारी जिसने कक्षा में माध्यमिक शिक्षा
 बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा में राज्य स्तर/ जिला स्तर पर योग्यता क्रम में
 निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हैं,
 वर्तमान में
 विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम
 में नियमित अध्ययनरत है।
3. उपरोक्त अनुच्छेदों में दिया गया विवरण सत्य है।
4. मैं यह भी वचन देता हूँ कि इस घोषणा में दिये गये विवरण के असत्य पाये जाने पर
 छात्रा को दी गयी पुरस्कार राशि का दो गुना बोर्ड को लौटा दूँगा तथा तथ्यों की
 असत्यता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

हस्ताक्षर शपथगृहीता

पिता के हस्ताक्षर

माता के हस्ताक्षर

लेख्य प्रमाणक (नोटेरी पब्लिक) या दण्डनायक/प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी
 प्रशासक/राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित जो कि स्वयं भी अपने पद की मुद्रा
 सहित हस्ताक्षर करेंगे।

मुद्रा सहित हस्ताक्षर